

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-एफ०(४)-३/२०१९ दिनांक शिमला-२ ४ अप्रैल, २०२२.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-४(१), नियम-७ तथा नियम ८(२) व (३) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

नियम ४. पात्रता: (१) वृद्धावस्था पेंशन:-

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु साठ वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जायेगी।

नियम ७. पेंशन / भत्ता की दरें:-

- (I) ६०-६९ आयु वर्ग के पुरुषों और ६०-६४ आयु वर्ग की महिलाओं को दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, १०००/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (II) ६५-६९ आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, ११५०/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (III) ७० वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक ०१.०४.२०२२ से वृद्धावस्था पेंशन, १७००/-रु० प्रति माह देय होगी।
- (IV) विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता (४०-६९ प्रतिशत दिव्यांगता), को दिनांक ०१.०४.२०२२ से पेंशन/भत्ता, ११५०/-रु० प्रति माह देय होगा।
- (V) ७० प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता दिनांक ०१.०४.२०२२ से १७००/-रु० प्रति माह देय होगा।
- (VI) कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता व ट्रांसजेंडर पेंशनरों को दिनांक ०१.०४.२०२२ से भत्ता/पेंशन १०००/-रु० प्रति माह देय होगी।

Cont..../2


8/4/22

: 2 :

नियम 8. (2) व (3): वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता, ट्रांसजैन्डर पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया:-

60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति/प्रार्थी, 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति, कुष्ठ रोगी एवं ट्रांसजैन्डर (अर्थात ऐसे सभी वर्ग जिनके लिये कोई आय सीमा की शर्त नहीं है), अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र/दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा वचनबद्धता (undertaking) की प्रति सहित सीधे सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इन्हें ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।


आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।

पृष्ठांकन संख्या: :एस0जे0ई0बी0-एफ0(4)-3/2019 दिनांक शिमला-2 8 अप्रैल 2022.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, हि0 प्र0, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, हिमालैंड, शिमला-171001
8. उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि0प्र0, शिमला-2
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, हि0प्र0 सचिवालय, शिमला-2 ।
12. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 ।



उप सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

सं०:एस०जे०ई०बी०-एफ०(९)-४/२०१८ दिनांक शिमला-२ २६ मार्च, २०२०.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१० दिनांक २९ जून, २०१० द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, २०१० के नियम-७ एवं अधिसूचना संख्या: एस०जे०ई०बी०-सी०(१)-२/२०१३ दिनांक १३ जून, २०१९ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-
नियम-७.पेंशन/भत्ता की दरें:-

विधवाओं व दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वर्तमान में मु० ८५० रुपये प्रतिमाह है दिनांक ०१-०४-२०२० से मु० १००० रुपये प्रतिमाह होगी।

आदेश द्वारा,

(निशा सिंह)


अति०मुख्य०सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठंकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-२

२६ मार्च, २०२०.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

१. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-१७१००२
२. प्रधान निजी सचिव एवं विशेष सचिव मुख्यमन्त्री, हि०प्र०, शिमला-२
३. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
४. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-१७१००२
५. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि०प्र०, शिमला-३
६. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
७. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलों, हि० प्र०, कसुम्पटी, शिमला-९
८. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-१७१००१
९. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२
१०. वरिष्ठ/ विशेष निजी सचिव समस्त मन्त्री, हि०प्र०, शिमला-२
११. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
१२. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-१७१००५ ।


उप सचिव (सा०न्या०एवं अधि०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(बी-अनुभाग)

14.6.2019
Director
Addl. Director
Joint Director
JD/DD (SCSP)
JD/DD (ECOMSA)
Supdt. G-1
Low Officer
AC (F&A)
Sh. Rakesh

संख्या:एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2013 दिनांक शिमला-171002

13, जून, 2019.

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एस0जे0ई0-बी0-सी0(1)-2/2010 दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा संशोधित सामाजिक सुरक्ष पैशन नियम 1997 के अनुसरण में उक्त संशोधन के उपबन्ध (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक सुरक्षा पैशन योजना के अन्तर्गत पैशन की दरों में निम्नलिखित प्रावधान करने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

उपबन्ध संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
7	पैशन/भत्ता की दरें	
	(i) वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पैशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजैण्डर को पैशन 01-04-2018 से ₹ 750/- रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(i) वृद्धावस्था/विधवा/ परित्यक्ता/एकल नारी पैशन, अपंग राहत भत्ता (40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अक्षम पैशनर), कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास भत्ता तथा ट्रांसजैण्डर को पैशन 01-07-2019 से ₹ 850/-रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैशनरों, ट्रांसजैण्डर को अपंग राहत भत्ता/पैशन 01-04-2018 से ₹ 1300/- रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(ii) 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षम पैशनरों, ट्रांसजैण्डर को अपंग राहत भत्ता/पैशन 01-07-2019 से ₹ 1500/-रुपये प्रति माह की दर से देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैशनरों, ट्रांसजैण्डर को 01-04-2018 से ₹ 1300/- रुपये प्रति माह की दर से पैशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।	(iii) 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वृद्ध पैशनरों, ट्रांसजैण्डर को 01-07-2019 से ₹ 1500/- रुपये प्रति माह की दर से पैशन देय होगी या जो राशि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

आदेश द्वारा,
निशा सिंह

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0न्या0एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

14/6/19
13

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि दिनांक शिमला-2

13, जून, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
3. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
4. प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वरिष्ठ उपमहालेखाकार, हि0प्र0, शिमला-3
5. समस्त मण्डल आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
6. निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामलें, हि0 प्र0, कसुम्पटी, शिमला-9
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, सेडार होम, ब्रेन्ट बुड ऐस्टेट, बेमलोई, शिमला-171001
8. संयुक्त सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. नियन्त्रक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री शिमला-171005
10. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।

13/6/2019
विशेष सचिव (सा0न्या0 एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।